(96)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-- रवि जैन
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 63 / 2011

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज.)।

-- प्रार्थी

बनाम

1. कमली पुत्री कालू जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. झिमली पुत्री कालू जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू। **(मृतक)**
   2/1. हरीराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी भडौन्दा कलां तहसील झुंझुनू।
   2/2. मूलचन्द पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी भडौन्दा कलां तहसील झुंझुनू।
   2/3. नानूराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी भडौन्दा कलां तहसील झुंझुनू।
   2/4. बाबूलाल पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी भडौन्दा कलां तहसील झुंझुनू।
   2/5. बनारसी पुत्री शंकरराम जाति मेघवाल निवासी गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी।
   2/6. संतोष पुत्री पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील चिड़ावा।
3. अणचली पुत्री कालू जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू। **(मृतक)**
   3/1. प्रभातीलाल पुत्र हरशाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/2. लच्छमराम पुत्र हरशाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/3. विनोद पुत्री हरशाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/4. बिमला पुत्री हरशाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/5. मन्जू पत्नी जवाहरलाल जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/6. मनीष पुत्र जवाहरलाल जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/7. कविता पुत्री जवाहरलाल जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
   3/8. सेठिया पुत्री जवाहरलाल जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील झुंझुनू।
4. सोनली पुत्री कालू जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. पतासी पत्नी मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू। **(मृतक)**
   (अप्रार्थीया के विधि वारिस अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 13 है।)
6. शांति पुत्री मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. श्रवणी पुत्री मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. कौशल्या पुत्री मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. मनीराम पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. सोहनलाल पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11. सुरेश कुमार पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12. मोहनलाल पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13. शीशराम पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.07.2019

1. उक्त विषयक रेफरेन्स तहसीलदार नवलगढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 449 के अनुसार ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी की गैर खातेदारी कमली, झिमली, अणचली, सोनली पुत्रियां कालू, पतासी पत्नी मूलचन्द, शांति श्रवणी, कौशल्या पुत्रियां मूलचन्द, मनीराम, सोहनलाल, सुरेश कुमार, मोहनलाल, शीशराम पुत्रगण मूलचन्द समस्त जाति मेघवंशी गैर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है।
2. उक्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2019–22 के अनुसार खसरा नम्बर 545 रकबा 119 बीघा 19 बिश्वा किस्म जोहड़ जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण घड़सी पुत्र हरसा चमार, बोयता पुत्र झाबर जाट, भोलिया पुत्र हनुता चमार, मोरली बेवा कालू चमार, माला पुत्र जस्सू जाट, रामू पुत्र भाना कौम मीणा, राधू पुत्र रामरख कौम जाट, सूण्डा पुत्र स्योजी चमार, कमा पुत्र सोना, शंकर पुत्र भागू, हरसा पुत्र श्योजी चमार, सुरजा पुत्र भूरा, माना, गीगा पुत्र गोरू कौम सुनार, सुरजा पुत्र कुसला चमार, उंकार पुत्र खेतदास बिरामण दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 खसरा नम्बर 545/4 रकबा 13 बीघा किस्म जोहड़ जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण मु. मोहरी बेवा कालू कौम चमार सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2027 – 30 खसरा नम्बर 545/4 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण दुलचन्द पुत्र बना चमार दर्ज रिकार्ड है।
3. उक्त वर्णित भूमि जोहड़ की भूमि होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है।
4. उक्त भूमि की खातेदारी किसी भी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण या आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है
5. माननीय न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण गैर खातेदार की गैर खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी आवश्यक हो गई है।
6. सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है।
7. राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदार अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है जो राज्य सरकार की हक तलफी होगीं अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी।
8. अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने की कृपा करें।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

9. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 9 लगायत 11 की ओर से वकील श्री चन्द्रप्रकाश ने वकालतनामा प्रस्तुत किया परन्तु न तो उनकी ओर से कोई जबाब प्रस्तुत किया ओर न ही उनकी ओर से पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित आयें। सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान को क्रमशः 2/1 लगायत 2/6, 3/1 लगायत 3/8 के रूप में पक्षकार बनाया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 के विधिक वारिसान 6 लगायत 13 पूर्व से ही पक्षकार है। उक्त अप्रार्थीगण भी बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

10. बहस सुनी गई। बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुये निवेदन किया कि बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी की गैर खातेदारी कमली, झिमली, अणचली, सोनली पुत्रियां कालू, पतासी पत्नी मूलचन्द, शांति श्रवणी, कौशल्या पुत्रियां मूलचन्द, मनीराम, सोहनलाल, सुरेश कुमार, मोहनलाल, शीशराम पुत्रगण मूलचन्द समस्त जाति मेघवंशी गैर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि जोहड़ होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी भी निजी व्यक्ति को दिया जाना या आन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण या आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। माननीय न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण गैर खातेदार की गैर खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी आवश्यक हो गई है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजो खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की जानी उचित है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां भेजा जावे।

11. हमने बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के अनुसार यह तथ्य निर्विवाद सही है कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी की खातेदारी राजकीय खाते मे सम्वत् 2019 से 2022 तक जोहड़ दर्ज रिकार्ड थी। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी पुर्व में गैर मुमकिन जोहड़ भूमि रही है, वर्तमान में मौके पर अप्राथीगण के पूर्वजो की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझतें है।

12. अतः यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मौजा बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 449 के अनुसार ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1331/998 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी गैर खातेदारी अप्रार्थीगणों के पूर्वजों के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(89)

पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजकीय अभिभाषक राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से रेफेरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील ज़ाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू